2022 का विधेयक संख्यांक 73

[दि कम्पलसरी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स बिल, 2022
का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण विधेयक, 2022

सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जाति, लिंग एवं समग्र समावेश जैसे सामाजिक मुद्दों से संबंधित अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण अधिनियम, 2022 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''समुचित सरकार'' से राज्य के मामले में, उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''बोर्ड'' से, धारा 4 के तहत स्थापित संवेदनशीलता प्रशिक्षण सलाहकारी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''पाठ्यचर्या'' से, विद्यार्थियों को उनके लक्ष्यों, आदर्शों और जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए निर्देशात्मक और शैक्षिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(घ) ''शैक्षिक संस्था'' से, प्राथमिक या माध्यमिक अथवा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का विद्यालय, जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, अथवा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला कतिपय महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय,चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, और जिसे समुचित सरकार के संबंधित अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है या स्थापित किया गया है अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(च) ''संवेदनशीलता प्रशिक्षण'' से, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के मध्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु सभी के बीच समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को लिंग, जाति, धर्म अथवा किसी अन्य आवश्यक विषय के प्रति संवेदनशील बनाना है, अभिप्रेत है।

विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण।

3. समुचित सरकार उस रीति से, जैसे कि विनिर्धारित की जाए,अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यथोचित उपाय करेगी ।

संवेदनशीलता प्रशिक्षण सलाहकार बोर्ड की स्थापना।

4. (*1*) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण सलाहकार बोर्ड नामक बोर्ड की स्थापना करेगी।

(*2*) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, –

(क) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों से एक–एक प्रतिनिधि;

(ख) शैक्षणिक संस्थाओं से इतनी ही संख्या में प्रख्यात शिक्षक;

(ग) एक प्रख्यात उभयलिंगी व्यक्ति;

(घ) समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक–एक प्रतिनिधि;

(ङ) प्रमुख धार्मिक समुदायों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि; तथा

(च) एक महिला, एक पुरुष, एक उभयलिंगी व्यक्ति, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय से संबंधित एक विद्यार्थी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से एक–एक विद्यार्थी सहित सात प्रतिनिधि,

केंद्रीय सरकार द्वारा उस विधि से, जैसे कि विनिर्धारित की जाए, नियुक्त किए जाएंगे।

(*3*) बोर्ड के सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे।

(*4*) केंद्रीय सरकार बोर्ड को उतनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी, जितने कि उसके कुशल कार्यकरण हेतु आवश्यक हैं, उपलब्ध करवाएगी।

(*5*) बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य नियम और शर्तें वैसी होंगी, जो कि विनिर्धारित की जाएं।

बोर्ड के कार्य।

5. बोर्ड,–

(क) समुचित सरकार को विद्यार्थियों के संवेदनशीलता प्रशिक्षण के संबंध में पाठ्यक्रम की सिफारिश करेगा;

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रमाण–पत्रों के संबंध में समुचित सरकार को सिफारिश करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में संवेदनशील प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नियमित जांच करेगा और इस संबंध में समुचित सरकार को प्रतिवेदन संग्रह प्रस्तुत करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों की गतिविधियों की निगरानी और निर्देशन करेगा;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक उपाय सुझाएगा; तथा

(च) समुचित सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य कार्य करेगा।

संवेदनशीलता प्रशिक्षण हेतु अंक अथवा पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाएंगे।

6. इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, संवेदनशीलता प्रशिक्षण लेने के लिए किसी भी विद्यार्थी या शिक्षक को अंक अथवा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, कि जिन शिक्षकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया गया है, उनका समय–समय पर परीक्षण किया जाएगा और उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर उस रीति से, जैसे कि विनिर्धारित की जाए, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

शैक्षणिक संस्थाओं में शिकायत निवारण हेतु समुचित सरकार हेल्पलाइन जारी करेगी।

7. समुचित सरकार शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण या किसी भी शैक्षणिक संस्था में पाठ्यक्रम प्रदान नहीं किए जाने के मुद्दों के संबंध में उनकी शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन जारी करेगी।

समुचित सरकार मुद्दों का संज्ञान लेगी और चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।

8. (*1*) समुचित सरकार पाठ्यचर्या को पढ़ाने में चूक करने वाले शिक्षकों या शिक्षकों द्वारा ठीक से नहीं पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे और इस संबंध में उनके ध्यान में लाई गई किसी अन्य समस्या का संज्ञान उस रीति से लेगी, जैसे कि विनिर्धारित की जाए।

(*2*) समुचित सरकार दोषी शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर और परिशमनकारी परिस्थितियों में, छह महीने के भीतर ऐसे आवश्यक उपाय करेगी जैसा कि विहित किया जाए।

शिक्षकों हेतु अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण।

9. समुचित सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर, यह सुनिश्चित करेगी कि,–

(क) किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षक के रूप में नियुक्ति से पहले कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा प्रमाणित संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करे; तथा

(ख) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ा रहा है, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के एक वर्ष के भीतर बोर्ड द्वारा प्रमाणित संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करेः

परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति संवेदनशीलता प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है, तो वह किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

केंद्रीय सरकार निधियाँ प्रदान करेगी।

10. केंद्रीय सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा विधि अनुसार किए गए समुचित विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

11. इस अधिनियम के उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

12. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं अथवा दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात, जैसा भी मामला हो, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु उस नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्व स्तर पर और भारत दोनों में, इस बात पर सहमति है कि सभी उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के सतत विकास लक्ष्य 4, जिसमें भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है, में निहित है, । उदाहरण के लिए, इसका उद्देश्य ''समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।''

जबकि स्कूली शिक्षा की उपलब्धता में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे प्रगतिशील कानूनों के आधार एवं विधायी समर्थन के चलते निश्चित रूप से पिछले कुछ दशकों में कई गुना वृद्धि हुई है, वहीं अभी भी ''समावेशीता'' और ''समानता'' प्राप्ति की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और एलजीबीटीक्यूआईए समुदायों और कई अन्य लोगों के बच्चे आज भी स्कूलों में भेदभाव, चाहे वह पूर्वाग्रह, दुर्व्यवहार, या उपेक्षा के रूप में हो, का सामना कर रहे हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विद्यार्थियों के साथ न केवल उनके साथियों, बल्कि कई बार उनके शिक्षकों द्वारा भी अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 हमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है, उक्त कृत्य किये जाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रगतिशीलता में एक कदम आगे जाकर वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के पूर्व प्रचलित भेदभाव के अस्तित्व को मानता है और इसे प्रतिबंधित करता है।

उक्त दुर्व्यवहार और उपेक्षा के दूरगामी परिणाम होते हैं, और यह बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि स्कूलों के भीतर भेदभाव निम्न ग्रेड, उच्च ड्रॉप–आउट दर और दुर्बल मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई गंभीर परिणाम लाता है। यह निर्धनता दुष्चक्र का भी जन्मदाता है , जिसके तहत कुछ बच्चे विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, जबकि अन्य प्रगति कर जाते हैं।

इस बात पर गौर करते हुए, कि स्कूली शिक्षा के वर्ष बच्चे के जीवन का सर्वाधिक रचनाकारी एवं उत्पादक काल–खंड होता है, यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को न केवल सहज रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए, अपितु सीखने, सोचने और बढ़ने के लिए एक समग्र, स्वस्थ एवं भेदभाव विहीन वातावरण भी प्रदान किया जाए।

इसलिए, कक्षा के भीतर और उसके बाहर शून्य–भेदभाव के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह विधेयक निम्नलिखित दो उपायों का प्रस्ताव करता हैः

(1) अनिवार्य ''संवेदनशीलता शिक्षा'' को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं में भारतीय समाज की समस्याओं के विषय में जागरूकता पैदा की जा सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चे, जो कल के हमारे नेतृत्वकर्ता होंगें, अपने साथी देशवासियों के लिए दया, समानता की भावना और भेदभाव विहीन व्यवहार करने की मानसिकता से संपुष्ट हों; तथा

(2) आधिकारिक तौर पर प्रमाणित होने के लिए देश के सभी शिक्षकों को अनिवार्य ''संवेदनशीलता प्रशिक्षण'' प्रदान किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, इसके सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।

विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रस्तावित संवेदनशीलता शिक्षा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अनुरूप है, । सबसे पहले, अनुच्छेद 2, 12, 13, 14, 15, और 19, जोकि बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भागीदारी का अधिकार, दुर्व्यवहार और हिंसा से सुरक्षा, तथा विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की

स्वतंत्रता का अधिकार शामिल हैं। इस अभिसमय के अनुच्छेद 29 और 42, जो कि बाल शिक्षा अधिकारों से संबंधित है, जहां बच्चे अपने अधिकारों को जानने और समझने में सक्षम होते हैं और अपने स्वयं के मानवाधिकारों सहित मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा प्रणाली पृथक होकर काम नहीं करती है, बल्कि उस समाज, जिसमें वह प्रचलित है, में अंतर्निहित होकर काम करती है। यदि हमारे शैक्षणिक संस्थान हमारे बच्चों को हमारे समाज की वास्तविकता के बारे में व्यापक रूप से जागरूक नहीं करेंगे, तो बच्चे वास्तविकता से सदैव अनभिज्ञ बने रहेंगे और उनमें सहानुभूति और नैतिकता की भावना विकसित नहीं हो पाएगी। ऐसी ही भावना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकल्पित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 में भी अभिव्यक्त की गई थी, जिसमें यह कहा गया है किः ''जाति के पदानुक्रम, आर्थिक स्थिति और लिंग संबंधी सांस्कृतिक विविधता के साथ–साथ असमान आर्थिक विकास जो भारतीय समाज की विशेषता है, शिक्षा तक पहुंच और स्कूल में बच्चों की भागीदारी को भी गहराई से प्रभावित करता है।'' इसलिए, शैक्षिक संस्थानों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों को उस दुनिया के बारे में सोचने, सीखने और यहां तक कि वे जिस दुनिया में रहते हैं, उसके बारे में जानने में मदद करने के लिए परस्पर संवाद सुविधा प्रदान करें।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने 2013 में 'विद्यालयों में भेदभाव समाप्त करने की ओर' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण उपायों को इंगित किया, जिनमें भेदभाव संबंधी प्रभावी शिक्षा को साकार किया जा सकता है । संक्षेप में, परिषद की निम्नलिखित प्रासंगिक सिफारिशें थीं, अर्थात्:–

(1) हितधारक ऐसे वातावरण को प्राथमिकता देंगे जो सभी स्तरों पर स्कूल प्रणाली के भीतर भेदभाव को खुले तौर पर स्वीकार करता है और उन्हें ''स्कूलों और शिक्षा प्रणाली में भेदभाव पर बातचीत और चर्चा की प्रक्रिया की दिशा में कदम उठाना चाहिए'';

(2) शिक्षक शिक्षा प्रणाली की अग्रिम पंक्ति हैं, और शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए ताकि शिक्षकों को भेदभाव को समझने के लिए तैयार किया जा सके, ताकि उनकी ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोका जा सके; और अन्य बच्चों, माता–पिता, शिक्षा अधिकारियों और अन्य लोगों सहित शिक्षा प्रणाली में किसी भी अन्य पात्र की ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए आंदोलन में भागीदार बनने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके; तथा

(3) बच्चों को स्वयं सीखने की प्रक्रिया में विविध विषय सीखने चाहिए और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कक्षाओं को संचालित किया जाना चाहिए।

शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और ''संवेदनशीलता शिक्षा'' में छात्रों के प्रशिक्षण तथा चर्चा को अर्थपूर्ण बनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के पास पूर्वाग्रहों, समस्याओं और असमानताओं का गंभीर विश्लेषण करने के निमित्त एक सुरक्षित, समर्थ वातावरण हो, जो उन्हें आवश्यक कौशल सम्पन्न बनाए और उन्हें ऐसे नागरिकों के रूप में आकार दें जो न केवल अपने अधिकारों को समझते हैं, बल्कि दूसरों के अधिकारों को भी समझते और उन्हें सम्मान देते हैं।

जबकि हमारे पास भेदभाव की निंदा करने वाले शैक्षिक निकायों संबंधी कई कानून, नियम और सिफारिशें हैं, वे वास्तविक परिवर्तन किए जाने तक अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, और यह परिवर्तन केवल कक्षाओं के भीतर ही प्रारम्भ हो सकता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; **सुप्रिया सुले**

17 *जनवरी,* 2022

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 संवेदनशीलता प्रशिक्षण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है। यह बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का भी उपबंध करता है। खंड 7 समुचित सरकार द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण के संबंध में उनकी शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन जारी किए जाने का उपबंध करता है। खंड 10 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी। इस स्तर पर, व्यय की जाने वाली राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, विधेयक के अधिनियमित होने पर, भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस पर भारत की संचित निधि से लगभग एक हजार करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पंद्रह सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 12 केंद्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जाति, लिंग एवं समग्र समावेश जैसे सामाजिक मुद्दों से संबंधित अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)